पु.स. 851/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी गोपाल बनाम प्रभुलाल वगैरह	पु.स. 851/2018
विवरण-प्रस्तुत 27.06.2019	पत्रावली पैश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन व परिक्षण किया गया। विपक्षीगण संख्या 05, 07, 08 को छोडकर शेष समस्त पक्षकारान विपक्षीगण के सम्मन/नोटस लोटकर बाद तामील प्राप्त। लौटकर प्राप्त तामील रिपोट पर विपक्षी क्रम 05, 08 का फौत होना अंकित आया। यानि मृतकों को विपक्षीगण क्रम 07, 08 के स्थान संयोजित कर, न्यायालय को अन्धेरे में रखते हुए, प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र कानूनन दृष्टि से दोषयुक्त प्रस्तुत किया गया है। जो कत्ई क्षम्य योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा कारित त्रूटी पत्रावली को देखने से सिद्ध होती है। फिर भी प्रार्थी को इस कारित भूल को सुधार के यानि प्रकरण में अपेक्षित पूर्ति के अनेकों अवसर दिये जा चुके है, किन्तु प्रार्थी इस विषयक गंभीर नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र, दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	